भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 742
जिसका उत्तर गुरुवार, 8 फरवरी, 2024 को दिया जाना है

पूरी तरह से कार्यशील वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं वाले न्यायालय

742 श्री एस. निरंजन रेड्डी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्ण रूप से कार्यशील वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं वाले न्यायालयों की कुल संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि जिला न्यायालयों द्वारा टेलीफोन बिलों का भुगतान न किए जाने के कारण इंटरनेट सुविधाएं काट दी गई हैं जिससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं बाधित हो रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन जिला न्यायालयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जहां टेलीफोन बिल बकाया हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : राष्ट्रीय ई-गर्वनेंस योजना के भाग के रूप में, ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना "भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना"के आधार पर भारतीय न्यायपालिका के विकास के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी)कार्यान्वयन के अधीन है। ई-न्यायालय परियोजना का कार्यान्वयन भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के साथ मिलकर न्याय विभाग द्वारा किया जा रहा है । ई-न्यायालय परियोजना के चरण 1 को वर्ष 2011-2015 के बीच कार्यान्वित किया गया था । परियोजना के चरण 2 को वर्ष 2015-2023 तक विस्तारित किया गया ।

ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना में, परियोजना के चरण-1 के दौरान 488 न्यायालय परिसरों एवं 342 तत्स्थानी जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रसुविधा प्रचालित की गई है । परियोजना के ई-न्यायालय चरण 2 में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपस्कर को सभी न्यायालय परिसरों, जिसके अंतर्गत तालुक स्तरीय न्यायालय हैं, प्रत्येक को उपलब्ध कराया गया है तथा निधियों को 14,443 न्यायालय कक्षों (उच्च न्यायालय-वार ब्यौरा उपाबंध-1 पर संलग्न है) अतिरिक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपस्कर के लिए मंजूर किया गया है । 2,506 वीसी केबिनों की स्थापना के लिए निधियों को उपलब्ध कराया गया है (वीसी केबिनों का उच्च न्यायालय-वार ब्यौरा उपाबंध-2 पर संलग्न है) । 1500 वीसी अतिरिक्त अनुज्ञप्तियां अर्जित की गई हैं । 3,240 न्यायालय परिसरों और तत्स्थानी 1,272 जेलों के बीच वीसी प्रसुविधाएं पहले ही समर्थ बना दी गई हैं ।

(ख) : ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना चरण-2 के अधीन बीएसएनएल द्वारा ओएफसी (आप्टिकल फाइबर केबल), आरएफ (रेडियो आवर्ती), वीसेट (अत्यंत लघु अपराचर टर्मिनल) जैसी विभिन्न प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए देश में चारों ओर फैले न्यायालय परिसरों को कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई गई है । अब तक 2,992 स्थलों में से 2,977 स्थलों को 10 एमबीपीएस से 100 एमबीपीएस बैंडविथ गति के साथ आरंभ कर दिया गया है (99.04%स्थलों को पूरा कर लिया गया है) । ई-न्यायालय चरण-2 के भाग के रूप में, न्याय विभाग, उच्च न्यायालयों और संबंधित राज्य सरकारों के बीच एक त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो प्रत्येक की भूमिका और उत्तरदायित्व को विनिर्दिष्ट करता है । इस करार के अनुसार प्रतिष्ठापन के समय से दो वर्ष पश्च के लिए कनेक्टिविटी और अनुरक्षण के लिए प्रभारों का संदाय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा चुकाया जाएगा । तथापि, बीएसएनएल ने रिपोर्ट किया है कि बिलों के भुगतान न किए जाने के मद्दे किसी कनेक्शन को काटा नहीं गया है ।

(ग) : पूर्वोक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

****

उपाबंध-1

पूरी तरह से कार्यशील वीडियो कॉन्फ्रेंसिग सुविधाओं वाले न्यायालय के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 742 जिसका उत्तर 08/02/2024 को दिया जाना है के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण । न्यायालय कक्षों के लिए वीसी उपस्कर के उच्च न्यायालय-वार ब्यौरे निम्नानुसार है :

क्र. सं.	उच्च न्यायालय	कार्यशील न्यायालय कक्षों की संख्या	वीसी उपस्कर की संख्या जो पहले से प्रदान किए गए थे	अतिरिक्त उपस्कर की संख्या जो प्रदान किए जाने वाले हैं
क	ख	ग	घ	ड.
1	इलाहाबाद	2438	150	2288
2	आंध्र प्रदेश	550	212	338
3	बॉम्बे	2178	486	1692
4	कलकत्ता	840	88	752
5	छत्तीसगढ़	395	90	305
6	दिल्ली	479	6	473
7	गुवाहाटी	442	194	248
8	गुजरात	1078	327	751
9	हिमाचल प्रदेश	135	43	92
10	जम्मू-कश्मीर	218	86	132
11	झारखंड	417	28	389
12	कर्नाटक	1029	200	829
13	केरल	508	159	349
14	मध्य प्रदेश	1274	203	1071
15	मद्रास	1169	267	902
16	मणिपुर	38	37	1
17	मेघालय	36	64	0
18	ओड़िशा	688	141	547
19	पटना	1046	76	970
20	पंजाब और हरियाणा	972	118	854
21	राजस्थान	1239	238	1001
22	सिक्किम	21	17	4
23	तेलंगाना	440	129	311
24	त्रिपुरा	78	66	12
25	उत्तराखंड	184	52	132
	कुल	**17892**	**3477**	**14443**

*14443 न्यायालय कक्षों के लिए वीसी उपस्कर हेतु कुल अनुमानित लागत 28.886 करोड़ रू0 है ।

उपाबंध-2

पूरी तरह से कार्यशील वीडियो कॉन्फ्रेंसिग सुविधाओं वाले न्यायालय के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 742 जिसका उत्तर 08/02/2024 को दिया जाना है के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण । न्यायालय परिसरों में वीसी केबिनों के लिए उच्च न्यायालय-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	उच्च न्यायासलय	वीसी केबिनों की संख्या
क	ख	ग

1	इलाहाबाद	438
2	आंध्र प्रदेश	57
3	बॉम्बे	271
4	कलकत्ता	128
5	छत्तीसगढ़	58
6	दिल्ली	103
7	गुवाहाटी	77
8	गुजरात	94
9	हिमाचल प्रदेश	18
10	जम्मू-कश्मीर	34
11	झारखंड	78
12	कर्नाटक	128
13	केरल	52
14	मध्य प्रदेश	169
15	मद्रास	140
16	मणिपुर	12
17	मेघालय	11
18	ओड़िशा	84
19	पटना	171
20	पंजाब और हरियाणा	135
21	राजस्थान	143
22	सिक्किम	11
23	तेलंगाना	52
24	त्रिपुरा	17
25	उत्तराखंड	25
कुल		**2506**

*वीसी केबिनों के लिए उपस्कर हेतु कुल अनुमानित लागत 5.012 करोड़ रू0 है

****